



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, १३ नवम्बर, २००९ ई०

कार्तिक २२, १९३१ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग—९

संख्या ७५० / XXVII(9) / स्टाम्प—८३ / २००९

देहरादून, १३ नवम्बर, २००९

### अधिसूचना

प०आ०—२१८

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (अधिनियम संख्या २, वर्ष १८९९) की धारा ९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम गेठिया, जनपद नैनीताल की खतौनी खाता संख्या ५,८,९ एवं १२१ मध्ये महर्षि कपिल अद्वैत पायलट बाबा आश्रम के नाम ६१ नाली तथा श्री जयदेव प्रसाद भिण्डा के नाम २७ नाली दर्ज भूमि इस प्रकार कुल ८८ नाली भूमि को होलिस्टीक एजूकेशन एण्ड वेल बीइंग ट्रस्ट, तल्ला गेठिया, ज्योलिकोट, जनपद नैनीताल को भूमि दान किये जाने की स्थिति में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एल० एम० पन्त,  
सचिव।